अध्याय -V
वाहन, माल व यात्री कर

अध्याय-V
वाहन, माल व यात्री कर

5.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (परिवहन)सरकार स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है। परिवहन विभाग से प्राप्तियों को केन्द्र तथा राज्य मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है तथा ये निदेशक परिवहन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होती है। माल व यात्री कर से प्राप्तियों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है जिनका संचालन राज्य के आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2015-16 में राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अंतर्गत सांकेतिक कर, विशेष पथ कर, पंजीकरण फीस, परमिट फीस, चालक लाइसेंस फीस, परिचालक लाइसेंस फीस, शास्तियों एवं समेकित फीस से सम्बंधित 56 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 322 मामलों में ₹160.13 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कर का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो **तालिका 5.1** में निम्नवत् श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

तालिका 5.1: लेखापरीक्षा परिणाम

			(₹करोड़ में)
क्रमांक	**श्रेणी**	**मामलों की संख्या**	**राशि**
1.	**गैर-वसूली/ अल्पवसूली**		
	• सांकेतिक कर व समेकित फीस	138	3.95
	• विशेष पथ कर	37	55.36
	• यात्री व माल कर	34	7.95
2.	**अपवंचन**		
	• सांकेतिक कर	22	1.02
	• यात्री व माल कर	27	9.26
3.	**अन्य अनियमितताएं**		
	• वाहन कर	30	0.93
	• यात्री व माल कर	34	81.66
	योग	**322**	**160.13**

विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान 323 मामलों में ₹16.83 करोड़ का अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिसमें से 270 मामलों में ₹4.38 करोड़ की राशि वसूल की गई उसमें 259 मामलों में ₹3.88 करोड़ विगत वर्षों से तथा 11 मामलों में ₹0.50 करोड़ की राशि वर्ष 2015-16 से संबंधित थी।

₹90.61 करोड़ से अंतर्ग्रस्त आवश्यक मामलों की विवेचना निम्नवत् परिच्छेदों में की गई है:

5.3 आबकारी एवं कराधान विभाग में यात्री व माल कर की वसूली

अप्रर्याप्त प्रर्वतन के साथ महत्वपूर्ण अभिलेखों का निष्कृष्ट अनुरक्षण एवं आबकारी एवं कराधान विभाग का मोटर वाहन पंजीकरण प्राधिकारियों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण सभी वाणिज्यिक वाहनों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने को सुनिश्चित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹84.90 करोड़ के राजस्व का अनुउद्ग्रहण/अल्प-उद्ग्रहण हुआ।

परिचय

यात्री व माल कर से प्राप्तियों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम,1955 तथा हिमाचल प्रदेश यात्री व माल नियमावली, 1957 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। वाणिज्यिक वाहनों (वाहन) पर लगाए जाने योग्य यात्री व माल कर का भुगतान हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर नियमावली के नियम 9 के अनुसार अग्रिम रूप से या तो त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दरों पर किया जाता है। 12 व्यक्तियों तक के बैठने की क्षमता वाली टैक्सियों के सम्बन्ध में यात्री कर का भुगतान उनके बैठने की क्षमता के अनुसार एक-मुश्त किया जाता है तथा बारह सीटों से अधिक क्षमता वाली टैक्सियों के संदर्भ में यात्री कर का निर्धारण तथा भुगतान हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर नियमावली के नियम 9(8) के अनुसार एक निर्धारित फार्मूला[1] के अनुसार किया जाता है तथा माल कर का भुगतान वाहन की भारण क्षमता के अनुसार किया जाता है। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर (संशोधित) अधिनियम की धारा 3-'बी' में आगे प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को राज्य के भीतर प्रत्येक दो सौ पचास किलोमीटर अथवा उसके किसी भाग जो सड़क द्वारा तय किया गया/अथवा तय किया जाना है, के लिए निर्धारित दरों पर, जो अनुसूची-।। की कॉलम (2) में निर्दिष्ट है, माल के परिवहन पर अतिरिक्त माल कर उद्ग्रहित, प्रभारित तथा भुगतान किया जाएगा।

2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए 'आबकारी एवं कराधान विभाग में यात्री व माल कर की वसूली' पर आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[2] की लेखापरीक्षा दिसम्बर 2015 तथा मार्च 2016 के मध्य राजस्व की वसूली में विभाग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन हेतु की गई थी। लेखापरीक्षा परिणाम को अनुवर्ती परिच्छेदों में दर्शाया गया है:

5.3.1 अभिलेखों का अनुरक्षण न करना

प्रभावी तथा समायोचित राजस्व का उदग्रहण एवं संग्रहण मुख्यतया अभिलेखों के सही तथा अद्यतन रख-रखाव पर निर्भर करता है जोकि यथासमय अनुश्रवण एवं वसूली को सुनिश्चित करेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि डाटा तथा अभिलेखों को विभिन्न विभागीय प्राधिकरणों द्वारा भिन्न-भिन्न स्तरों पर अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित था, अनुरक्षित नहीं किया गया था तथा यह बकाया के प्रभावशाली तरीके से निपटान की उनकी क्षमता को कमज़ोर करता है इसके साथ-साथ ही राजस्व संग्रहण के प्रयासों की प्रभावकारिता के लिए कोई आश्वासन उपलब्ध नहीं करता जैसे कि नीचे विवरण किया गया है:

[1] सीटों की संख्या × अनुसूचित किलोमीटर की संख्या × कुल घेराव जोकि (33) *प्रतिशत* है × यात्री कर की दर × प्रति किलोमीटर भाड़ा ।

[2] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त-बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना ।

(i) केन्द्रीयकृत आंकड़ों का अनुरक्षण न करना: राज्य में पंजीकृत किये गये यात्री, माल, शैक्षणिक संस्थान एवं संविदा कैरिजों तथा हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये गये संविदा कैरिजो की संख्या को दर्शाते हुए करों व अन्य देयों के प्रभार एवं संग्रहण के लिए प्रभावी नियंत्रण तथा उद्ग्रहण हेतु जांच के लिए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास पंजीकृत किये गये वाणिज्यिक वाहनों की कुल संख्या के केन्द्रीयकृत आंकड़े आयुक्त आबकारी एवं कराधान (विभाग का मुखिया) स्तर पर अनुरक्षित किये जाने थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पंजीकृत किये गये वाहनों की कुल संख्या के केन्द्रीयकृत आंकड़े एवं वर्ष-वार/जिलावार देय तथा ऐसे वाहनों के सम्बन्ध में वसूले गये राजस्व के आंकड़ों का न तो मुख्यालय स्तर पर और न ही इकाई स्तर पर अनुरक्षण किया गया था। डाटा का यह अभाव राजस्व की पूर्ण क्षमता के साथ वसूली सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अभाव को दर्शाता है।

(ii) मांग एवं संग्रहण पंजिकाओं का अनुरक्षण न करना: हिमाचल प्रदेश यात्री व माल नियमावली के नियम 19 (क) एवं (ख) में प्रावधान है कि प्रत्येक जिला के आबकारी एवं कराधान कार्यालय में एक दैनिक संग्रहण पंजिका तथा मांग एवं संग्रहण पंजिका का अनुरक्षण किया जाना चाहिए जिसमें मोटर वाहन के मालिक द्वारा किये गए भुगतान के प्रमाण के रूप में प्राप्त किये गए प्रत्येक चालान के विवरण अभिलेखित किये जाएगें। लेखापरीक्षा ने पाया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, बद्दी, शिमला तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ऊना (आबकारी कराधान अधिकारी, अम्ब), सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर (आबकारी कराधान अधिकारी, नादौन) में दैनिक संग्रहण पंजिकाऐं लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आई0 टी0 एप्लिकेशन के अंतर्गत अनुरक्षित नहीं की गई थी। आगे यह भी पाया गया कि इन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 2012-13 तथा 2014-15 के मध्य पंजीकृत किये गये वाहनों के संदर्भ में मैनुअल आधार पर भी दैनिक संग्रहण पंजिकाओं को अनुरक्षित नहीं किया था। दैनिक संग्रहण पंजिकाओं की अनुपस्थिति में इस अवधि के दौरान पंजीकृत किये गये 15,295 वाहनों[3] के संदर्भ में कर भुगतान का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

(iii) अपूर्ण मांग एवं संग्रहण पंजिकाऐं: दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[4] के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 75 संविदा कैरिजों जिन्हें होटलों/निजी फर्मों ने ले रखा था, 2008-09 तथा 2011-12 के मध्य हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत थे। इन संविदा कैरिजों द्वारा भुगतान किया गया कर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर/दैनिक संग्रहण रजिस्टर में नहीं आ रहा था। वाहन मालिकों ने भी कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं की जैसा कि हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली के नियम 17-'ए' के अंतर्गत अपेक्षित था। तथापि, निर्धारण प्राधिकारियों ने रिटर्न प्रस्तुत करवाने तथा 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए वाहन मालिकों के निर्धारण को अन्तिम रूप देने के लिए न तो कोई कदम उठाया और न ही यात्री कर को वसूल करने के लिए वाहनों को निरूद्ध किया था।

(iv) मासिक रिर्टनों को प्रस्तुत न करना: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 23 संविदा कैरिजों ने अप्रैल 2012 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान स्वयं घोषित आधार पर ₹1.15 करोड के यात्री व माल कर को जमा किया था। तथापि, यह वाहन हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान

---

[3] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त-बद्दी: 7,450 वाहन, शिमला: 5,865 वाहन, आबकारी एवं कराधान अधिकारी नादौन (हमीरपुर): 425 वाहन तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी अम्ब (ऊना):1,555 वाहन

[4] बद्दी तथा कुल्लू ।

अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थे तथा इसी प्रकार उक्त नियमावली के नियम 17–'ए' के अंतर्गत मासिक रिटर्नें भी प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने इन वाहनों को पंजीकृत करवाने, आवर्तिक रिटर्न प्रस्तुत करने तथा नियम 21 के अंतर्गत उनके निर्धारण को अन्तिम रूप देने हेतु कोई कदम नहीं उठाया था। इस प्रकार, ₹1.15 करोड के यात्री व माल कर के भुगतान की यथार्थता की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं हो सकी।

(v) निरीक्षण स्टॉफ द्वारा वसूल किये गए कर का विवरण प्रस्तुत न करना: छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[5] के निरीक्षण स्टॉफ ने यात्री व माल कर का भुगतान न करने वाले 7,350 मामलों का पता लगाया था तथा उनसे ₹3.34 करोड़ वसूल किये थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल संकलित विवरणियों को जैसे कि पता लगाये गए मामलों की संख्या एवं वसूल किये गए राजस्व को प्रस्तुत करने तथा मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों को अद्यतन करने के लिए उनके संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को वाहन–वार विवरण नहीं दिया गया था। इस प्रकार 7,350 वाहनों के कर की स्थिति का अद्यतन नहीं किया गया था।

(vi) जॉंच चौकियों/बैरियरों के प्रभारी द्वारा रिटर्न प्रस्तुत न करना: हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली के नियम 19 (2, 3 तथा 4) के अनुसार वाहन का प्रभारी व्यक्ति सम्बद्ध जिले के कर निर्धारण प्राधिकरण के कार्यालय अथवा निर्धारित किये गये प्राधिकारी अथवा जॉंच चौकी/बैरियर के कार्यालय प्रभारी को कर का नकद भुगतान करेगा। जॉंच चौकी/ बैरियर के प्रभारी व्यक्ति से जिले के कर निर्धारण प्राधिकारी जिसने पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया था, को आगामी मास की सातवीं तारीख से पहले प्रपत्र यात्री एवं माल कर–22 में रिटर्न भेजी जानी अपेक्षित होती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि बैरियरों/जॉंच चौकियों के प्रभारियों ने वाहन मालिकों द्वारा उनके पास जमा कराये गये यात्री व माल कर की रिटर्न सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को जिनके पास वाहन पंजीकृत किये गये थे, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नहीं भेजी थी। इन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने भी ऐसी रिटर्न को नियमित रूप से प्रस्तुत करने के लिए सम्बद्ध बैरियरों/ जॉंच चौकियों के प्रभारियों के साथ मामला नहीं उठाया। रिटर्नों को प्रस्तुत न करने के अभाव में, वाहन मालिकों द्वारा बैरियरों पर किये गए यात्री व माल कर के भुगतान की स्थिति को उनके व्यक्तिगत लेखों में दर्ज नहीं किया गया था।

(vii) रिटर्न को प्रस्तुत न करना: हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, के नियम 9–डी (4) में प्रावधान है कि अधिकृत व्यक्ति[6] प्रत्येक महीने जिले के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त अथवा प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को प्रपत्र पी0जी0टी0–25 में महीने की समाप्ति पर, जिस महीने से संग्रहण संबंधित है, खज़ाना चालान प्रपत्र पी0जी0टी0–9 सहित एक रिटर्न तथा प्रपत्र पी0जी0टी0–21–'ए' में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा तथा इसे प्रस्तुत करने पर अधिनियम की धारा 3–बी के अंतर्गत कोई कर भुगतान योग्य नहीं होगा। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, सिरमौर तथा ऊना के अभिलेखों की नमूना–जांच से उद्घाटित हुआ कि अधिसूचित की गई 296 फर्मों में से 190 फर्मों[7] ने निर्धारित की गई मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं की थी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने न तो इन फर्मों को रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचनाऐं जारी की और न ही नियम 9–ई के अंतर्गत इन फर्मों के निर्धारणों को अन्तिम रूप दे

[5] बिलासपुर: 1,264 मामले, हमीरपुर: 297 मामले, शिमला: 3,008 मामले, सिरमौर: 679 मामले, सोलन: 1,630 मामले तथा ऊना: 472 मामले।

[6] एक व्यक्ति जिसे हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की धारा 4–ए के अंतर्गत कर एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

[7] सिरमौर: 109 फर्म तथा ऊना: 81 फर्म।

पाए। इस प्रकार, इन फर्मों द्वारा अतिरिक्त माल कर की चोरी की सम्भावना की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं की जा सकी।

5.3.2 आबकारी एवं कराधान विभाग के पास वाहनों का पंजीकरण न करवाने के कारण माल व यात्री कर की अवसूली

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की धारा 3 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत स्टेज/संविदा कैरिज तथा माल वाहन मालिकों को निर्धारित दरों पर यात्री कर व माल कर का भुगतान किए जाने हेतु उनके वाहनों का पंजीकरण सम्बद्ध आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के पास कराया जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि कोई भी वाहन मालिक राज्य में अपना वाहन तब तक नहीं ला सकेगा जब तक उसके पास सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा जारी किया गया वाहन के पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र नहीं होगा। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9-बी (5) में आगे प्रावधान है कि यदि, वाहन मालिक अपने वाहन का पंजीकरण कराने के लिए आवेदन करने में विफल रहता है तो उससे शास्ति जो निर्धारित की गई कर की राशि के पांच गुणा से अधिक न हो, तथा न्यूनतम ₹500 हो, भी उद्ग्राह्य होगी।

वाहनों के पंजीकरण का कार्य पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों /क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के द्वारा संभाला जाता है तथा यात्री व माल कर का संग्रहण सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा संभाला जाता है। 26 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा सात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पंजीकरण अभिलेखों के साथ संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पंजीकरण अभिलेखों की प्रति जांच करने पर उद्घाटित हुआ कि 2012-13 से 2014-15 के दौरान पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत 32,956 वाणिज्यिक वाहनों में से 12,098 वाहन नियत किये गए यात्री व माल कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी थे लेकिन सम्बद्ध सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास पंजीकृत नहीं किये गए थे। सम्बंधित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों का सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ समन्वय के अभाव के परिणामस्वरूप, इन 12,098 वाहनों के लिए ₹8.11 करोड़[8] के यात्री व माल कर की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त, वाहनों का पंजीकरण न होने के कारण ₹0.60 करोड़ की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी जैसा कि निम्न **तालिका 5.2** में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.2: आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के पास वाहनों का पंजीकरण न होने का विवरण

(₹करोड़ में)

क्रमांक	वाहन के प्रकार	मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये गए वाहनों की कुल संख्या	आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत न पाए गए वाहनों की कुल संख्या	वसूली योग्य राशि			
				यात्री कर	माल कर	वसूली योग्य कुल राशि	न्यूनतम शास्ति (₹500/-प्रति वाहन)
1.	**यात्री वाहन** (मैक्सी कैब/टैक्सी)	7,030	2,003	1.23	--	1.23	0.10
2.	**यात्री वाहन** (शैक्षणिक संस्थान बसें)	477	209	0.23	--	0.23	0.01
3.	**माल वाहन** (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/हल्के माल वाहन/ट्रैक्टर)	25,449	9,886	--	6.65	6.65	0.49
योग		**32,956**	**12,098**	₹1.46	₹6.65	**₹8.11**	**₹0.60**

[8] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त-बद्दी: ₹1.89 करोड़, बिलासपुर: ₹0.84 करोड़, हमीरपुर: ₹40.25 लाख, कुल्लू: ₹41.55 लाख, शिमला: ₹2.06 करोड़, सिरमौर : ₹0.61 करोड, सोलन: ₹1.03 करोड़ तथा ऊना: ₹0.87 करोड़।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (अक्तूबर 2016) कि ₹49.14 लाख में से ₹2.92 लाख की राशि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कुल्लू द्वारा 44 वाहन मालिकों से वसूल कर ली गई थी और शेष राशि को वसूल करने के लिए आबकारी एवं कराधान अधिकारियों/ निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिये गए थे। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, हमीरपुर तथा शिमला ने बताया कि वाहनों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत लाए जाने के प्रयास किये जाएगें जबकि शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने कोई उत्तर नहीं दिया (नवम्बर 2016)।

5.3.3 माल व यात्री कर की अवसूली

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत वाहन मालिकों से निर्धारित दरों पर मासिक अथवा त्रैमासिक रूप से कर एवं भाड़ा इत्यादि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली के नियम 9 (7)(ii)(सी)(i व ii) में प्रावधान है कि वाहन मालिक उस अवधि के लिए जिसके लिए वह जैसे ही अपना वाहन सडक पर चलने से बंद करता है, कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों को सूचित करेगा। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 में आगे प्रावधान है कि किसी बकाया या इस अधिनियम के अंतर्गत लगाई गई शास्ति भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालयों में अनुरक्षित किये गये मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों से 15,442 वाहनों के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 4,642 वाहनों[9] के संदर्भ में 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए ₹5.46 करोड़ की राशि के यात्री व माल कर का भुगतान इन वाहन मालिकों द्वारा नहीं किया गया था। वाहन मालिकों द्वारा उक्त अवधि के दौरान अपने वाहन का सड़क पर उपयोग न करने के बारे तथा कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए कोई मांग भी नहीं की गई थी। तथापि, निर्धारण प्राधिकारियों ने न तो वाहन मालिकों को यात्री व माल कर को जमा करवाने के लिए मांग सूचनाएं जारी की थी और न ही यात्री व माल कर की वसूली को भू-राजस्व के रूप में वसूल करने हेतु इन मामलों को आयुक्त को भेजा गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹5.46 करोड़[10] के यात्री व माल कर की वसूली नहीं हुई, जैसाकि **तालिका 5.3** में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.3: माल व यात्री कर की गैर-वसूली का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	वाहनों के प्रकार	नमूना जांच किए गए वाहनों की संख्या	वाहनों की कुल संख्या जिनके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया	देय कर की राशि
1.	**यात्री वाहन** (मैक्सी कैब/ टैक्सी)	5,775	1,269	1.06
2.	**यात्री वाहन** (शैक्षणिक संस्थान बसें)	846	150	0.26
3.	**माल वाहन** (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	8,821	3,223	4.14
	योग	**15,442**	**4,642**	**5.46**

[9] बद्दी: 313 वाहन, बिलासपुर: 950 वाहन, हमीरपुर: 1,161 वाहन, कुल्लू: 420 वाहन, शिमला: 481 वाहन, सिरमौर: 449 वाहन, सोलन: 621 वाहन तथा ऊना: 247 वाहन।

[10] बद्दी: ₹42.57 लाख, बिलासपुर: ₹1.56 करोड़, हमीरपुर: ₹0.63 करोड़, कुल्लू: ₹34.79 लाख, शिमला: ₹0.57 करोड़, सिरमौर : ₹0.64 करोड़, सोलन: ₹0.97 करोड़ तथा ऊना: ₹32.34 लाख।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (अक्तूबर 2016) कि ₹45.37 लाख में से ₹6.30 लाख की राशि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कुल्लू द्वारा 103 वाहन मालिकों से वसूल कर ली गई थी और शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, हमीरपुर तथा शिमला ने बताया कि चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किये जा रहे थे तथा देय राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। शेष पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने कोई उत्तर नहीं दिया।

5.3.4 यात्री व माल कर की वसूली की निगरानी न करना

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, बद्दी तथा सोलन द्वारा अनुरक्षित किये गये मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2005 से 2010 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत व नमूना जांच किये गए 2,806 यात्री व माल वाहनों में से 891 वाहन मालिक नियत दरों पर वार्षिकी रूप से यात्री व माल कर के भुगतान के उत्तरदायी थे, ने अपनी पंजीकरण की तिथि से कोई यात्री व माल कर का भुगतान नहीं किया था। विभाग ने वाहन मालिकों को यात्री व माल कर का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी नहीं किये थे। इस प्रकार, 891 वाहन मालिकों से यात्री व माल कर के भुगतान की निगरानी न करने के परिणामस्वरूप ₹1.40 करोड़[11] की राशि के यात्री व माल कर की अवसूली हुई। आगे विभाग ने न तो इन वाहनों को जब्त करने और न ही चूककर्त्ताओं के नामों को भू-राजस्व के रूप में वसूली करने के लिए आयुक्त को प्रतिवेदित करने हेतु कोई कदम उठाया था।

5.3.5 अतिरिक्त माल कर

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान की धारा 3-बी में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को प्रत्येक मद के लिए निर्धारित दरों पर जो हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की अनुसूची-।। के कॉलम (2) में निर्दिष्ट है, माल के परिवहन पर अतिरिक्त माल कर उद्ग्रहित, प्रभारित तथा भुगतान किया जाएगा। अतिरिक्त माल कर का भुगतान प्रभार वाले व्यक्ति अथवा वाहन के चालक द्वारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली के नियम-9-ड़ी में आगे प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की अनुसूची-।। में विनिर्दिष्ट माल परिवहन हेतु प्रेषण के लिए विक्रय या प्रेषण प्राधिकृत करता है तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया जाता है तो सम्बद्ध जिला कार्यालय में हिमाचल प्रदेश माल व बिक्री कर अधिनियम, 1968 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जिले के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त अथवा प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पंजीकृत किया जाएगा। प्राधिकृत व्यक्ति अतिरिक्त माल कर की राशि एकत्रित करेगा तथा इस राशि को सरकारी कोष में जमा कराएगा। नियम 9-ई में आगे प्रावधान है कि निर्धारण प्राधिकारी अधिनियम के अंतर्गत कर को एकत्रित करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 4-'ए' के अंतर्गत प्रस्तुत की गई प्रत्येक रिटर्न की महीने की समाप्ति के बाद समीक्षा करेगा तथा निर्धारण प्राधिकारी अर्ध-वार्षिकी आधार पर प्रत्येक मामले का निर्धारण करेगा। लेखापरीक्षा ने ₹69.92 करोड़ के अतिरिक्त माल कर की अवसूली/अल्प-वसूली को पाया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

[11] बद्दी: ₹17.31 लाख तथा सोलन: ₹1.23 करोड़ ।

(क) खनन अधिकारियों, सोलन तथा बिलासपुर से एकत्रित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि अतिरिक्त माल कर को एकत्रित करने हेतु प्राधिकृत तीन सीमेंट कम्पनियॉं, सीमेंट तथा क्लींकर के निर्माण हेतु चूना पत्थर एवं स्लेटी पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहीं थी। इन सीमेंट कम्पनियों ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान खनन क्षेत्र से अपने सीमेंट प्लॉंट तक 1,89,48,993 मीट्रीक टन चूना पत्थर तथा 24,59,606 मीट्रीक टन स्लेटी पत्थर का प्रेषण किया जिस पर ₹68.04 करोड़ का अतिरिक्त माल कर उद्ग्राहय था।

यह फर्में अपने प्राधिकरण से नियमित रूप से अतिरिक्त माल कर की रिटर्न प्रस्तुत कर रहीं थी परन्तु हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त माल कर को जमा नहीं करवाया था। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने न तो मासिक रिटर्नो की संवीक्षा की और न ही अर्ध-वार्षिक आधार पर उनके निर्धारणों को अंतिम रूप दिया इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त माल कर की अवसूली के कारण ₹68.04 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(ख) खनन अधिकारी, सिरमौर से एकत्रित की गई सूचना की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान चूना पत्थर को निकालने के लिए खनन क्षेत्र सतौन एवं कमराहो में 16 पट्टाधारकों को पट्टे अनुमत किये गये थे। इन पट्टाधारकों ने 11,20,768 मीट्रीक टन चूना पत्थर को निकाला जिस पर ₹3.92 करोड़ का अतिरिक्त माल कर वसूल किया जाना अपेक्षित था। इन पट्टाधारकों को नियम 9-डी के अंतर्गत अतिरिक्त माल कर को एकत्रित करने हेतु सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया था तथा यह पट्टाधारक अतिरिक्त माल कर को बहुउद्देशीय बैरियर (एम0पी0बी0), राजबन जो कि इन खनन क्षेत्रों के लिए एक मात्र बैरियर था, में जमा करवा रहे थे। तथापि, बहुउद्देशीय बैरियर, राजबन ने उसी अवधि के दौरान ₹2.11 करोड़ के अतिरिक्त माल कर को वसूल किया हुआ दर्शाया था। इसके परिणामस्वरूप पट्टाधारकों से ₹1.81 करोड़ के अतिरिक्त माल कर की अल्प-वसूली हुई।

(ग) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 2014-15 के दौरान ठेकेदार से 77,068.14 मीट्रीक टन स्लेटी पत्थर के क्रय पर एक फर्म ने अतिरिक्त माल कर का भुगतान किया। तथापि, खनन अधिकारी, बिलासपुर के अभिलेख वास्तव में 1,74,166 मीट्रीक टन स्लेटी पत्थर की खुदाई दर्शाते हैं। इस प्रकार, फर्म ने 97,097.66 मीट्रीक टन स्लेटी पत्थर पर ₹6.80 लाख के अतिरिक्त माल कर का कम भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त माल कर का भुगतान न करने के लिए ₹13.60 लाख की शास्ति भी उदग्राहय थी। उद्योग विभाग, जिसको ठेकेदार स्लेटी पत्थर की खुदाई पर रॉयल्टी का भुगतान कर रहा था, वास्तविक की गई स्लेटी पत्थर की खुदाई की मात्रा की पुष्टि करने तथा अतिरिक्त माल कर की चोरी का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया था।

5.3.6 निष्कर्ष

अप्रर्याप्त प्रर्वतन के साथ महत्वपूर्ण अभिलेखों का निष्कृष्ट अनुरक्षण एवं आबकारी एवं कराधान विभाग का मोटर वाहन पंजीकरण प्राधिकारियों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण सभी वाणिज्यिक वाहनों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने को सुनिश्चित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹84.90 करोड़ के राजस्व का अनुद्ग्रहण/अल्प उद्ग्रहण हुआ।

5.4 सांकेतिक कर की अवसूली

विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए 11,018 वाहनों के संदर्भ में ₹4.09 करोड़ के सांकेतिक कर की न तो मांग की गई और न ही इन वाहन मालिकों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत वाहन मालिकों द्वारा सांकेतिक कर (टोकन टैक्स) का भुगतान त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप में निर्धारित तरीके से अग्रिम में किया जाना है। परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 मार्च 2012 के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए कर की विभिन्न दरें निर्धारित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1974 के नियम 4-'ए' के अनुसार यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अंदर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् कर के अतिरिक्त देय कर की 25 *प्रतिशत* वार्षिक दर से शास्ति का भुगतान करने का निर्देश देगा।

28 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों[12] तथा नौ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[13] के सांकेतिक कर रजिस्टरों एवं 'वाहन' सॉफ्टवेयर में अनुरक्षित डाटा की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि नमूना जांच किये गये 21,894 वाहनों के अभिलेखों में से 11,018 वाहनों के सम्बन्ध में 2012-13 से 2014-15 वर्षों हेतु ₹4.09 करोड़ के सांकेतिक कर की राशि को वाहन मालिकों द्वारा जमा नहीं करवाया गया था। चूककर्ताओं से कर वसूल करने के लिए कराधान प्राधिकारियों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹4.09 करोड़ के सांकेतिक कर की वसूली नहीं हुई, जैसा कि नीचे **तालिका 5.4** में विवरण दिया गया है।

तालिका 5.4: सांकेतिक कर का भुगतान न करने वाले वाहनों का विवरण

क्रमांक	वाहनों के प्रकार	पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के नाम	अवधि	वाहनों जिनके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया/नमूना जांच किए गए वाहनों की कुल संख्या	वसूली योग्य राशि (₹ करोड में)
1	निजी स्टेज कैरिज बस/मिनी बस/मैक्सी कैब/टैक्सी **(यात्री वाहन)**	**पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों** बंजार, चुराह, धर्मशाला, डलहौली, घुमारवीं, हमीरपुर, जयसिंहपुर, ज्वाली, कुल्लू, पांवटा साहिब, सुन्दरनगर, सोलन, शिमला (शहरी), तथा ऊना	2012-13 से 2014-15	508/1,625	0.97
		क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, नाहन, सोलन तथा ऊना		1,814/3,324	0.74
		योग-ए		**2,322/4,949**	**1.71**
2	भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर(वाणिज्यिक) **(माल वाहन)**	**पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों** आनी, बैजनाथ, भरमौर, चम्बा, चुवाड़ी, चुराह, धर्मशाला, डलहौजी, घुमारवीं, जयसिंहपुर, ज्वाली, करसोग, काजा, कुल्लू, नादौन, नाहन, नालागढ, निचार, नूरपुर, पांवटा साहिब, पुहू, शिमला (शहरी), सोलन, सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना एवं		7,180/14,220	1.75
		क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगडा, कुल्लू, मण्डी, नाहन, सोलन तथा ऊना		1,188/2,015	0.27

[12] **पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों** -आनी, बैजनाथ, भरमौर, चम्बा, चुवाड़ी, चुराह, धर्मशाला, डलहौजी, घुमारवीं, हमीरपुर, जयसिंहपुर, जोगिन्द्रनगर, ज्वाली, करसोग, काज़ा, कुल्लू, नादौन, नाहन, नालागढ, निचार, नूरपुर, पांवटा साहिब, पूह, शिमला (शहरी), सोलन, सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना।

[13] **क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों** - बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, नाहन, सोलन तथा ऊना।

3	निर्माण उपकरण वाहन	पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों-कुल्लू, पांवटा साहिब, ठियोग, तथा ऊना एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों- बिलासपुर, चम्बा, कुल्लू तथा सोलन		328/710	0.36
योग-बी				**8,696/16,945**	**2.38**
योग-ए +बी				**11,018/21,894**	**4.09**

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अगस्त 2016) सूचित किया कि छः पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा एक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी[14] ने 242 वाहनों के सम्बंध में ₹23.93 लाख के सांकेतिक कर की वसूली कर ली थी तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। शेष कराधान प्राधिकारियों ने (जनवरी 2016) सूचित किया कि चूककर्त्ताओं को कर जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किये जाएगें।

सरकार को मामला जून 2015 तथा अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी तक प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

5.5 प्रयोक्ता प्रभारों को कम जमा करवाना

ई-गवर्नेन्स समितियों ने प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में ₹43.02 लाख एकत्रित किये जिसका ₹10.76 लाख सरकारी खाते में जमा करवाना अपेक्षित था जिसमें से मात्र ₹1.79 लाख ही जमा किये गए थे तथा ₹8.97 लाख सरकारी खाते से बाहर रहे।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 03 सितम्बर 2005 की अधिसूचना द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों के कार्यालयों में समस्त परिवहन सम्बंधी गतिविधियों के कम्प्यूट्रीकरण हेतु परिवहन निदेशालय स्तर पर और प्रत्येक जिला स्तर पर एक ई-गवर्नेन्स समिति के गठन को अनुमोदित किया था। ये ई-गवर्नेन्स समितियां सितम्बर 2005 से सम्बंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। समितियां सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोक्ता प्रभारों का संग्रहण करती हैं तथा इन प्रभारों का 25 *प्रतिशत* सरकारी खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित हैं।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2015 तथा मार्च 2016 के मध्य, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर तथा दो पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों[15] के सेवा प्रभार संग्रहण रजिस्टरों की नमूना जांच की तथा पाया कि ई-गवर्नेन्स समितियों ने 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में ₹43.02 लाख एकत्रित किये। तथापि, प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में एकत्रित प्राप्तियों का 25 *प्रतिशत* ₹10.76 लाख के स्थान पर मात्र ₹1.79 लाख को सरकारी खाते में जमा करवाया गया परिणामस्वरूप, ₹8.97 लाख[16] सरकारी खाते से बाहर रहे।

इंगित किये जाने पर विभाग ने (अगस्त 2016) सूचित किया कि ₹8.97 लाख में से ₹2.77 लाख की राशि को पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी, हमीरपुर द्वारा जमा करवा दिया गया था तथा पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी, रामपुर एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे।

[14] पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी-घुमारवीं: 142 वाहन: ₹10.60 लाख, कुल्लू: एक वाहन: ₹11,000, नाहन: छः वाहन: ₹12,500, नालागढ: 26 वाहन: ₹90,000, निचार: 17 वाहन: ₹35,875, पांवटा साहिब: 38 वाहन: ₹11.46 लाख तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कांगडा: 12 वाहन: ₹37,670 ।

[15] पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी- हमीरपुर तथा रामपुर ।

[16] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर: ₹4.60 लाख, पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी- हमीरपुर: ₹2.77 लाख तथा रामपुर: ₹1.60 लाख ।

सरकार को मामला सितम्बर 2015 तथा अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी तक प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

5.6 विशेष पथ कर की अवसूली/अल्प-वसूली

विशेष पथ कर ₹1.53 करोड़ हिमाचल पथ परिवहन निगम, निजी स्टेज कैरिजों तथा अन्य राज्यों के स्टेज कैरिजों से वसूल नहीं किया गया था।

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3-'क' के अंतर्गत राज्य में प्रयुक्त अथवा प्रयोग हेतु रखे गए सभी परिवहन वाहनों पर राज्य सरकार मासिक रूप से विशेष पथ कर का उद्ग्रहण करेगी। इसका भुगतान निर्धारित दरों[17] पर प्रत्येक मास की 15 वीं तारीख तक अग्रिम रूप में किया जाएगा। परिवहन विभाग की 31 जुलाई 2002 से लागू मानी गई दिनांक 26 जुलाई 2006 की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अन्दर देय विशेष पथ कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी देय कर के 25 *प्रतिशत* वार्षिक दर से वाहन मालिक को शास्ति का भुगतान करने का निर्देश देगा। आगे, अधिनियम की धारा 14 (2) में विशेष पथ कर के भुगतान से छूट का प्रावधान है यदि पंजीकृत मालिक कराधान प्राधिकारी को पहले ही लिखित में सूचना देता है कि एक निश्चित अवधि के लिए उसका मोटर वाहन सार्वजनिक स्थान में प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा उस मोटर वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र परमिट सहित संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के पास जमा करवाता है ।

5.6.1 हिमाचल पथ परिवहन निगम पर उदग्रहण योग्य विशेष पथ कर का अल्प-निर्धारण

(क) तीन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 2013-14 तथा 2014-15 की अवधि के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम के स्टेज कैरिजों के संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी/नवीकृत किये गए 15 रूट परमिटों को विशेष पथ कर के निर्धारण करने के लिए गणना में नहीं लिया गया था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रतीत होता कि विशेष पथ कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने का दावा करने के लिए इन रूट परमिटों को पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के साथ संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास अभ्यर्पण किया गया था। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत की गई विशेष पथ कर निर्धारण विवरणियों की संवीक्षा के दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इस अनियमितता का पता लगाने में विफल रहे। इस प्रकार, ₹32.93 लाख[18] का विशेष पथ कर निर्धारण से छूट गया।

(ख) दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[19] की हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाईयों द्वारा प्रस्तुत की गई विशेष पथ कर निर्धारण विवरणियों एवं रूट परमिटों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 2013-14 तथा 2014-15 की अवधि के दौरान 11 मामलों में विशेष पथ कर की गणना रूट परमिट के अनुसार अथवा रूट परमिटों के अनुसार तय की गई दूरी के अनुसार नहीं की गई थी तथा विशेष पथ कर की निर्धारण विवरणियों को सही मान लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹19.40 लाख[20] के विशेष पथ कर का अल्प-निर्धारण हुआ।

---

[17] विशेष पथ कर की दरें मार्गों जिन पर वाहन चलाये जा रहे हैं जैसे कि उच्चमार्ग, राज्य उच्चमार्ग, ग्रामीण सड़कें तथा 30 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली स्थानीय बसों/मिनी बसों के वर्गीकरण पर आधारित होगी। 01 अप्रैल 2005 से उपरोक्त मार्गों हेतु विशेष पथ कर की दरें क्रमश: ₹6.04, ₹5.03 तथा ₹4.03 प्रति-सीट प्रति किलोमीटर है।

[18] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी- मण्डी: पांच रूट: ₹9.87 लाख, शिमला: पांच रूट: ₹14.70 लाख तथा सोलन: पांच रूट: ₹8.36 लाख

[19] शिमला तथा सोलन ।

[20] हिमाचल पथ परिवहन निगम -शिमला: ₹6.89 लाख तथा सोलन: ₹12.51 लाख।

5.6.2 निजी स्टेज कैरिज

छः क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[21] के विशेष पथ कर के रजिस्टरों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 93 मामलों में 2013-14 तथा 2014-15 की अवधि के लिए ₹1.18 करोड़ की राशि का विशेष पथ कर निजी स्टेज कैरिजों के मालिकों से वसूली योग्य था। परन्तु विभाग मात्र ₹0.50 करोड़ ही वसूल कर सका तथा विशेष पथ कर की शेष राशि ₹0.68 करोड़, मार्च 2016 तक बिना वसूली के पड़ी हुई थी। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रतीत होता कि विशेष पथ कर की शेष राशि को वसूल करने के लिए कराधान प्राधिकारियों द्वारा कोई पहल की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹0.68 करोड़ के विशेष पथ कर की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दरों पर ₹17.00 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

विभाग तथा सरकार को मामला सितम्बर 2015 तथा अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी तक प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

5.6.3 अन्य राज्यों की स्टेज कैरिजों से विशेष पथ कर का अल्प-निर्धारण

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 3-'क' की उप-धारा 4 के अनुसार यदि हिमाचल प्रदेश राज्य से भिन्न किसी राज्य में पंजीकृत परिवहन वाहन राज्य में प्रवेश करता है और किसी भी सार्वजनिक सड़क पर चलाया जाता है अथवा राज्य में प्रयोग किये जाने के लिए रखा जाता है, तो ऐसे प्रवेश पर निर्धारित रूप में विशेष पथ कर प्रभार्य होगा। अन्य राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी रूट परमिटों, जोकि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन उपयोग में लाया जा रहा है, द्वारा यथावत् प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो, के आधार पर हिमाचल प्रदेश में तय की गई संपूर्ण दूरी पर अन्य राज्यों के स्टेज कैरिजों के सम्बंध में विशेष पथ कर भी लागू और प्रभार्य होगा।

दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[22], के कार्यालय में 2014-15 के लिए अनुरक्षित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित रूट परमिटों तथा विशेष पथ कर पंजिकाओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 22 मामलों में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर चल रहे अन्य राज्य के स्टेज कैरिजों[23] द्वारा तय की गई दूरी के अनुसार विशेष पथ कर का निर्धारण सही प्रकार से नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य राज्यों के स्टेज कैरिजों के मालिकों से ₹32.51 लाख के विशेष पथ कर की अल्प वसूली हुई जैसा कि **परिशिष्ट-III** में विवरण दिया गया है।

विभाग तथा सरकार को मामला अक्तूबर तथा दिसम्बर 2015 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी तक प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

[21] कुल्लू: तीन मामले: ₹3.10 लाख, मण्डी: छः मामले: ₹1.68 लाख, नाहन (सिरमौर): 20 मामले: ₹9.71 लाख, शिमला: 27 मामले: ₹22.12 लाख, सोलन: 17 मामले: ₹25.28 लाख तथा ऊना: 20 मामले: ₹6.12 लाख।

[22] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी- मण्डी: सात मामले: ₹6.57 लाख तथा सोलन: 15 मामले: ₹25.94 लाख।

[23] हरियाणा रोड़वेज: चार परमिट, पंजाब रोड़वेज: तीन परमिट तथा चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम: 15 परमिट ।